

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

मांग संख्या 97

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	6299.69	127.62	6427.31	8406.99	803.29	9210.28	9554.05	407.10	9961.15	8189.51	730.88	8920.39	
वसूलियां	-1702.27	-10.91	-1713.18	-2304.48	-18.80	-2323.28	-2282.15	-19.00	-2301.15	-37.37	-23.02	-60.39	
प्राप्तियां	
निवल	4597.42	116.71	4714.13	6102.51	784.49	6887.00	7271.90	388.10	7660.00	8152.14	707.86	8860.00	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. सचिवालय													
1.01	सचिवालय	61.02	...	61.02	73.00	...	73.00	83.00	...	83.00	95.00	...	95.00
1.02	अधिक भुगतान की वसूली	-0.06	...	-0.06
	निवल	60.96	...	60.96	73.00	...	73.00	83.00	...	83.00	95.00	...	95.00
संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय													
2. केन्द्रीय जल आयोग													
2.01	केन्द्रीय जल आयोग	308.81	0.46	309.27	441.97	2.03	444.00	425.11	2.06	427.17	450.87	2.62	453.49
2.02	वसूली	-10.00	...	-10.00	-5.68	...	-5.68	-10.00	...	-10.00
	निवल	308.81	0.46	309.27	431.97	2.03	434.00	419.43	2.06	421.49	440.87	2.62	443.49
3. केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला													
3.01	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला	67.84	0.09	67.93	73.60	0.50	74.10	72.93	0.30	73.23	93.80	0.30	94.10
3.02	वसूली	-12.74	...	-12.74	-9.10	...	-9.10	-13.10	...	-13.10	-13.10	...	-13.10
	निवल	55.10	0.09	55.19	64.50	0.50	65.00	59.83	0.30	60.13	80.70	0.30	81.00
4.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	13.59	0.14	13.73	15.00	0.50	15.50	15.00	0.35	15.35	16.32	0.95	17.27
5.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति	0.78	...	0.78	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	1.50	...	1.50
6.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड	0.38	...	0.38	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.70	...	0.70
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड													
7.01	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	5.56	...	5.56	23.00	3.80	26.80	1.26	4.00	5.26	2.48	8.02	10.50
7.02	वसूली	-2.45	...	-2.45	-20.00	-3.80	-23.80	...	-4.00	-4.00	-0.02	-8.02	-8.04
	निवल	3.11	...	3.11	3.00	...	3.00	1.26	...	1.26	2.46	...	2.46

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	176.52	...	176.52	239.90	0.10	240.00	209.28	0.10	209.38	242.00	0.22	242.22
9. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	19.00	...	19.00	23.75	...	23.75	23.75	...	23.75	26.50	...	26.50
जोड़-संबद्ध कार्यालय, अधीनस्थ व अन्य कार्यालय	577.29	0.69	577.98	779.87	3.13	783.00	730.30	2.81	733.11	811.05	4.09	815.14
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	638.25	0.69	638.94	852.87	3.13	856.00	813.30	2.81	816.11	906.05	4.09	910.14
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
10. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम												
10.01 इएपी घटक	87.10	...	87.10	130.00	...	130.00	627.00	...	627.00	600.00	...	600.00
10.02 कार्यक्रम घटक	80.40	...	80.40	120.00	...	120.00	96.42	...	96.42	170.00	...	170.00
10.03 घटाएँ – राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से वहन की गई राशि'	-167.50	...	-167.50
<i>निवल</i>	250.00	...	250.00	723.42	...	723.42	770.00	...	770.00
मुख्य सिंचाई परियोजना												
11. पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना	100.00	...	100.00
12. फरक्का बैराज परियोजना												
12.01 फरक्का बैराज परियोजना	72.51	45.48	117.99	122.13	48.25	170.38	80.45	68.25	148.70	126.06	83.19	209.25
12.02 वसूली	...	-10.91	-10.91	-15.38	...	-15.38	-13.37	...	-13.37	-14.25	...	-14.25
<i>निवल</i>	72.51	34.57	107.08	106.75	48.25	155.00	67.08	68.25	135.33	111.81	83.19	195.00
13. पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा कार्य	3.00	3.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
14. बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम												
14.01 इएपी घटक	27.34	6.44	33.78	42.32	107.08	149.40	42.96	41.24	84.20	42.32	71.08	113.40
14.02 कार्यक्रम घटक	6.06	...	6.06	10.58	0.02	10.60	10.74	0.06	10.80	10.58	0.02	10.60
<i>जोड़- बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम</i>	<i>33.40</i>	<i>6.44</i>	<i>39.84</i>	<i>52.90</i>	<i>107.10</i>	<i>160.00</i>	<i>53.70</i>	<i>41.30</i>	<i>95.00</i>	<i>52.90</i>	<i>71.10</i>	<i>124.00</i>
जोड़-मुख्य सिंचाई परियोजना	205.91	41.01	246.92	159.65	158.35	318.00	120.78	109.56	230.34	164.71	154.30	319.01
नमामि गंगे												
15. नदी तट के सौंदर्यीकरण हेतु घाट निर्माण कार्य												
15.01 राष्ट्रीय गंगा योजना	1440.50	...	1440.50	2250.00	...	2250.00	2250.00	...	2250.00	2250.00	...	2250.00
15.02 नदी तट के सौंदर्यीकरण हेतु घाट निर्माण कार्य	67.00	...	67.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
15.03 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरण	1675.00	...	1675.00	2250.00	...	2250.00	2250.00	...	2250.00
15.04 घटाएँ – राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से वहन की गई राशि'	-1507.50	...	-1507.50	-2250.00	...	-2250.00	-2250.00	...	-2250.00
<i>निवल</i>	1675.00	...	1675.00	2300.00	...	2300.00	2300.00	...	2300.00	2300.00	...	2300.00
नदी बेसिन प्रबंधन												
16. राष्ट्रीय जल मिशन	4.04	0.41	4.45	13.50	1.50	15.00	4.50	0.50	5.00
17. नदी बेसिन प्रबंधन	175.37	0.13	175.50	199.08	0.91	199.99	199.32	0.67	199.99	223.45	1.55	225.00
18. बाढ़ पूर्वानुमान	35.81	3.55	39.36	50.25	14.75	65.00	37.80	7.20	45.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
19. नदियों को आपस में जोड़ना	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़-नदी बेसिन प्रबंधन	215.22	4.09	219.31	263.83	17.16	280.99	242.62	8.37	250.99	224.45	1.55	226.00
जल संसाधन प्रबंधन												
20. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	58.37	11.71	70.08	116.52	28.48	145.00	62.00	8.00	70.00	155.66	55.61	211.27
21. भूजल प्रबंधन और विनियमन												
21.01 भूमिजल प्रबंधन और विनियमन	81.36	42.91	124.27	75.50	439.50	515.00	75.50	214.50	290.00	84.29	380.71	465.00
21.02 वसूली	-12.02	...	-12.02	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00	...	-15.00	-15.00
<i>निवल</i>	<i>69.34</i>	<i>42.91</i>	<i>112.25</i>	<i>75.50</i>	<i>424.50</i>	<i>500.00</i>	<i>75.50</i>	<i>199.50</i>	<i>275.00</i>	<i>84.29</i>	<i>365.71</i>	<i>450.00</i>
22. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना												
22.01 इएपी घटक	23.79	...	23.79	92.00	51.00	143.00	85.89	1.12	87.01	103.48	11.52	115.00
22.02 कार्यक्रम घटक	27.98	...	27.98	104.58	52.42	157.00	96.87	1.12	97.99	123.48	11.52	135.00
<i>जोड़- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना</i>	<i>51.77</i>	<i>...</i>	<i>51.77</i>	<i>196.58</i>	<i>103.42</i>	<i>300.00</i>	<i>182.76</i>	<i>2.24</i>	<i>185.00</i>	<i>226.96</i>	<i>23.04</i>	<i>250.00</i>
23. अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	29.72	4.64	34.36	34.50	5.50	40.00	51.15	8.85	60.00	82.00	13.00	95.00
24. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.01	...	0.01
25. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम	20.78	0.16	20.94	24.00	1.00	25.00	28.00	1.00	29.00	58.70	4.07	62.77
26. अवसंरचना विकास	1.61	10.94	12.55	3.60	41.40	45.00	3.60	46.40	50.00	2.90	84.86	87.76
जोड़-जल संसाधन प्रबंधन	231.59	70.36	301.95	450.71	604.30	1055.01	403.01	265.99	669.00	610.51	546.29	1156.80
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	2327.72	115.46	2443.18	3424.19	779.81	4204.00	3789.83	383.92	4173.75	4069.67	702.14	4771.81
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
27. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	999.86	...	999.86
28. हर खेत को पानी	439.80	...	439.80	1450.00	...	1450.00	1888.00	...	1888.00	2600.00	...	2600.00
29. प्रभाव आकलन अध्ययन	0.07	...	0.07	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
30. सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए सहायता	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
31. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	149.99	...	149.99	150.00	...	150.00	562.68	...	562.68
32. नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	24.79	0.56	25.35	198.41	1.55	199.96	201.59	1.37	202.96
33. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम	525.37	1.63	527.00
34. सिंचाई गणना	16.94	...	16.94	25.00	...	25.00	15.45	...	15.45	50.00	...	50.00
35. अटल भू-जल योजना												
35.01 इएपी घटक	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
35.02 कार्यक्रम घटक	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
<i>जोड़- अटल भू-जल योजना</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>	<i>0.04</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>	<i>0.04</i>	<i>...</i>	<i>0.04</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1631.45	0.56	1632.01	1825.45	1.55	1827.00	2668.77	1.37	2670.14	3176.42	1.63	3178.05
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	1631.45	0.56	1632.01	1825.45	1.55	1827.00	2668.77	1.37	2670.14	3176.42	1.63	3178.05
कुल जोड़	4597.42	116.71	4714.13	6102.51	784.49	6887.00	7271.90	388.10	7660.00	8152.14	707.86	8860.00
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. वृहत सिंचाई	100.00	...	100.00
2. वृहत और मध्यम सिंचाई	621.94	...	621.94	1918.60	...	1918.60	1996.91	...	1996.91	3353.53	...	3353.53
3. लघु सिंचाई	250.92	...	250.92	317.42	...	317.42	287.30	...	287.30	330.79	...	330.79
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रणाली	229.30	...	229.30	266.17	...	266.17	208.43	...	208.43	196.86	...	196.86
5. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	1675.00	...	1675.00	2250.00	...	2250.00	2250.00	...	2250.00
6. अन्य परिवहन सेवाएं	72.51	...	72.51	106.75	...	106.75	67.08	...	67.08	111.81	...	111.81
7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	297.00	...	297.00	773.42	...	773.42	3070.00	...	3070.00
8. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	60.96	...	60.96	73.00	...	73.00	83.00	...	83.00	95.00	...	95.00
9. वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	24.50	24.50	...	250.84	250.84	...	65.32	65.32	...	165.64	165.64
10. लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	...	47.81	47.81	...	445.10	445.10	...	220.10	220.10	...	407.93	407.93
11. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	9.83	9.83	...	34.00	34.00	...	31.22	31.22	...	44.86	44.86
12. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	34.57	34.57	...	48.25	48.25	...	68.25	68.25	...	83.19	83.19
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3010.63	116.71	3127.34	5228.94	778.19	6007.13	5666.14	384.89	6051.03	7157.99	701.62	7859.61
अन्य												
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र	147.25	...	147.25	153.34	...	153.34	334.70	...	334.70
14. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1586.72	...	1586.72	704.82	...	704.82	1432.32	...	1432.32	639.25	...	639.25
15. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.07	...	0.07	21.50	...	21.50	20.10	...	20.10	20.20	...	20.20
16. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	3.30	3.30	...	3.20	3.20	...	6.23	6.23
17. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	3.00	3.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	1586.79	...	1586.79	873.57	6.30	879.87	1605.76	3.21	1608.97	994.15	6.24	1000.39
कुल जोड़	4597.42	116.71	4714.13	6102.51	784.49	6887.00	7271.90	388.10	7660.00	8152.14	707.86	8860.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. नाबार्ड	...	2187.00	2187.00	...	9020.00	9020.00	...	9020.00	9020.00	...	6000.00	6000.00
जोड़	...	2187.00	2187.00	...	9020.00	9020.00	...	9020.00	9020.00	...	6000.00	6000.00

- सचिवालय:** प्रावधान, मंत्रालय के सभी अधिकरणों सहित सचिवालय स्थापना व्यय के लिए है।
- केन्द्रीय जल आयोग:** प्रावधान, केन्द्रीय जल आयोग के स्थापना व्यय तथा आंकड़ा संग्रहण, निर्देशन एवं प्रशासन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, जल विज्ञानीय प्रेक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान देने, उपकरणों का आधुनिकीकरण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ, जल आयोजना, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्र के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान तथा ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल विज्ञानीय प्रेक्षण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए है।
- केन्द्रीय जल और ऊर्जा अनुसंधानशाला** प्रावधान, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। इसका कार्य जल संसाधन विकास के सभी चरणों से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन, उनमें परिवर्तन, संशोधन अथवा उनका डिजाइन फिर से तैयार करने और/अथवा उनमें निहित उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने के लिए विशिष्ट अनुसंधान अध्ययनों की आयोजना, आयोजन और निष्पादन करना है जिसमें जल आधारित परिवहन, पर्यावरणीय पहलू भी शामिल हैं। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले परामर्श और/अथवा सलाहकारी सेवाएं भी देती है।
- केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला** प्रावधान, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला का कार्य-क्षेत्र एवं प्रयोगशाला जांच, भूगर्भीय तंत्र में समस्याओं के विषय में बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध, कंक्रीट प्रौद्योगिकी, निर्माण सामग्री तथा संबंधित पर्यावरणीय मसलों जिनका देश में सिंचाई और विद्युत विकास पर सीधा असर पड़ता है, के संबंध में कार्य करना और भारत तथा विदेशों में विभिन्न परियोजनाओं तथा संगठनों को उपर्युक्त क्षेत्रों में सलाह और परामर्श देना है।
- सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति:** प्रावधान, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति के स्थापना व्यय के लिए है। इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार वर्ष 1980 में किया गया था जिसका उद्देश्य सरदार सरोवर परियोजना की यूनित-1 (बांध एवं सबद्ध निर्माण कार्य) और यूनित-111 (जल विद्युत निर्माण कार्य) का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना था।

6. **बाणसागर नियंत्रण बोर्ड:** प्रावधान, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन जनवरी, 1976 में किया गया था जिसका उद्देश्य बाणसागर बांध और संबंधित निर्माण कार्यों का कुशल, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन करना था। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य तथा विद्युत प्रणाली संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण बोर्ड का संपूर्ण दायित्व बाणसागर बांध और उससे संबंधित संरचनाओं के निर्माण का है।

7. **ऊपरी यमुना नदी बोर्ड:** प्रावधान, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थी राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन को विनियमित करना तथा लौटते प्रवाह की निगरानी करना, सतही और भूमि जल की निगरानी, संरक्षण तथा गुणवत्ता में बढोत्तरी करना, बेसिन के लिए जल मौसम विज्ञानी आंकड़ों का रखरखाव, वाटरशेड प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं बनाना और ओखला बैराज सहित उस तक सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना है।

8. **केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड:** प्रावधान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के स्थापना व्यय के लिए है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड एक बहुआयामी वैज्ञानिक संगठन है जिसका दायित्व "प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार तथा भारत के भूमि जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं सतत विकास व प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करना है जिसमें सतही एवं भूमि जल की खोज, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा, वितरण करना शामिल है जो आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय कौशल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो"। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को राष्ट्रीय शीर्ष संगठन होने के कारण, वैज्ञानिक अध्ययन करने, खुदाई द्वारा प्रेक्षण, भूमि जल प्रणाली की निगरानी, देश के भूमि जल संसाधनों का आकलन, संवर्धन, प्रबंधन और विनियमन करने का दायित्व सौंपा गया है।

9. **राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के लिए है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संपूर्ण रूप से सहायता प्राप्त एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 में संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य कार्यों में जल विज्ञान के सभी पहलुओं में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य शुरू करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और सम्मिलन, सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना और अनुरक्षण करना तथा इसमें किताबों, समीक्षाएं, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं और अन्य संबंधित प्रकाशनों आदि को रखना शामिल है।

10. **राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम:** प्रावधान, गंगा नदी एवं इसकी वितरिकाओं से संबंधित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के लिए है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना का निष्पादन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रूप में किया जाता है।

12.01. **फरक्का बैराज परियोजना:** प्रावधान, फरक्का बैराज परियोजना के निष्पादन के लिए है। भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र और नौवहन क्षमता में सुधार के द्वारा कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में फरक्का बैराज, जांगीपुर बैराज का प्रचालन एवं अनुरक्षण, फीडर नहर, नेविगेशन लाँक्स, सुविधा प्रदान करना, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल की साझेदारी के संबंध में समझौते का कार्यान्वयन शामिल है।

14. **बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम:** प्रावधान, बांध पुनर्स्थापन और सुधार कार्यक्रम तथा दामोदर घाटी निगम के लिए है, जो कि बांध सुरक्षा और इसके पुनर्स्थापन के लिए परियोजनाओं को शुरू करता है। भारत में बांध सुरक्षा गतिविधियों को लगातार सुदृढ़ करने के भाग के रूप में इस स्कीम को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है।

15.01. **राष्ट्रीय गंगा योजना:** प्रावधान, गंगा और इसकी सहायक नदियों से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है। इसमें नई एसटीपी को शुरू करने के अलावा मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों के पुनर्स्थापन और अपग्रेडेशन संबंधी स्कीम शामिल है।

15.02. **नदी तट के सौंदर्यीकरण हेतु घाट निर्माण कार्य:** प्रावधान, गंगा नदी के तट के सौंदर्यीकरण संबंधी घाट कार्यों के लिए है।

17. **नदी बेसिन प्रबंधन:** प्रावधान (i) ब्रह्मपुत्र बोर्ड की नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में ड्रेनेज डेवलपमेंट स्कीम, एंटी-इरोशन और फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स, मास्टर प्लानों की सर्वे, जांच और तैयारी / अपडेट जैसे अपनी नियमित गतिविधियों / कार्य को पूरा करने के लिए है। (ii) जल संसाधन विकास सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी द्वारा सर्वेक्षण, जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए और एनडब्ल्यूडीए को नियमित स्थापना व्यय के लिए अनुदान और नदियों के बीच में जोड़ने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर तैयार करने के लिए है। और (iii) नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना के लिए है।

19. **नदियों को आपस में जोड़ना:** प्रावधान, देश की नदियों को आपस में जोड़ने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए है।

20. **जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास:** प्रावधान, डाटा बैंक और डाटा बेस के नेटवर्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय सूचना प्रणाली से संबंधित है, एकीकरण और मौजूदा केन्द्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों को मजबूत बनाने और डेटा और प्रसंस्करण क्षमताओं की गुणवत्ता में सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

21. **भूजल प्रबंधन और विनियमन:** प्रावधान, बेहतर भूजल शासन के लिए भूजल प्रबंधन एवं नियमन से संबंधित परियोजना के निष्पादन के लिए है।

22. **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:** प्रावधान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, पद्धति और मॉडल (राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा विकसित की गई) पुनः देखना तथा उसको समेकित करना, यदि आवश्यक हो तो आकलन की पद्धति के अनुसार राज्य के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना, बेसिन के मैक्रो-मॉडल की तर्ज पर राज्य के इंजीनियरों (माइक्रो-मॉडल) द्वारा उप-बेसिन स्तर पर जल आकलन मॉडल का विकास करना, नदी बेसिन आयोजना, विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी) बाढ़ पूर्वानुमान (फ्लैश फ्लड, बाढ़ तथा

जलभराव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली) सेडीमेंट मॉडलिंग अध्ययन, राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (एनडब्ल्यूआईसी) आदि के कार्यान्वयन के लिए है। यह योजना विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

23. **अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन:** प्रावधान जल के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास, तथा जल का संरक्षण बर्बादी को कम करने तथा एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर इसका और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के हेतु राष्ट्रीय जल मिशन के लिए है।

25. **मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एचआरडी / क्षमता निर्माण कार्यक्रम: इस योजना के तहत इन घटकों के लिए के लिए प्रावधान किया गया है (i) जल संरक्षण के प्रसार और प्रचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की गतिविधि (ii) सतह जल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय जल अकादमी हेतु (iii) भूजल क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्राउंड वॉटर ट्रेनिंग संस्थान हेतु (iv) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान जल एवं भूमि प्रबंधन (नीरीवाम) की नियमित स्थापना व्यय एवं गतिविधियों के लिए अनुदान हेतु (v) मंत्रालय और उसके संगठन के अधिकारियों के प्रशिक्षण आदि हेतु।

26. **अवसंरचना विकास:** प्रावधान, अवसंरचना विकास, कार्यालयों और सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए है।

28. **हर खेत को पानी:** प्रावधान, पीएमकेएसवाई के तहत कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए है। वर्ष 2018-19 में कुल प्रावधानों 2600.00 करोड़ रुपये में से 2290.00 करोड़ रुपये नाबार्ड के ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए है।

29. **प्रभाव आकलन अध्ययन:** प्रभाव आकलन अध्ययन: प्रावधान एआईबीपी कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए है।

33. **बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम:** बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव को कम व नियंत्रित करने, सीमा नदियों में नदी प्रबंधन कार्य, बाढ़ नियंत्रण कटावरोधन तथा समुद्री कटावरोधन कार्य, कोसी तथा गंडक परियोजना (नेपाल) में बाढ़ संरक्षण कार्यों के रखरखाव के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण तथा जांच करने हेतु प्रावधान।

34. **सिंचाई गणना:** प्रावधान, लघु सिंचाई गणना आदि को युक्तिपूर्ण ढंग से करने के लिए सिंचाई गणना योजनाओं के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।

35. **अटल भू-जल योजना:** भूजल प्रबंधन में सुधार और प्रोत्साहन के लिए प्रस्तावित नई योजना अटल भूजल योजना (एबीएचआई) हेतु टोकन प्रावधान।